राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर

(प्लॉट नं. 6 एवेरस्ट कॉलोनी लाल कोठी जयपुर)

क्रमांकःपै.मे. / निविदा / 2017 / 1618 दिनांकः 22/9/17

सीमित बोली आमंत्रण सूचना

राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर प्लॉट नं. 6 एवेरस्ट कॉलोनी लाल कोठी जयपुर को विडियोग्राफी कार्य हेतु अनुभवी व्यक्ति /इच्छुक फर्म जिनके पास स्वंय का अनुभवी विडियोग्राफर मय अच्छी गुणवत्ता का विडियो केमरा व सी.डी. हो से निर्धारित प्रपत्र में बोली आंमत्रित की जाती है। इच्छुक बोलीदाता अपने प्रस्ताव इस कार्यालय में दिनांक 25.09.2017 से 03.10.2017 (अपरान्ह 02 बजे) तक कार्यालय में सीमित बोली आमंत्रण आवेदन पत्र प्रस्ततु कर सकते है । आवेदन प्रपत्र एवं बोली की शर्ते इस कार्यालय की बेबसाइट www.rajasthanparamedicalcouncil.org से प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त आमंत्रण पत्रों को दिनांक 03.10.2017 (अपरान्ह 03 बजे) उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष खोला जावेगा। किसी भी बोली को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता को होगा।

रजिस्ट्रार

क्रमांकःपै.मे. / निविदा / 2017 / 1619 दिनांकः 22/9/17

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1 प्रभारी सर्वररूम को भेजकर लेख है कि उक्त सूचना को आज ही RPMC की वेबसाइट पर अपलोड करें।
2. नोटिस बोर्ड (प्लॉट नं. 6 एवेरस्ट कॉलोनी लाल कोठी जयपुर)
3. मैसर्स... ।
4. रक्षित पत्रावली।

रजिस्ट्रार

राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर

(प्लॉट नं. 6 एवेरस्ट कॉलोनी लाल कोठी जयपुर)

विडियोग्राफी कार्य के लिए सीमित बोली प्रपत्र

1. बोलीदाता का नाम ....
2. पूरा पता ....
3. टेलीफोन नम्बर .... मोबाईल नं. .... पैन नं. ....
   फर्म का GST नं.............................
4. ई–मेल आई.डी. ....
5. बोली आमन्त्रण सूचना संख्या ....
6. विडियोग्राफी कार्य के लिए प्राप्त प्रशिक्षण योग्यता एवं अनुभव संबंधी दस्तावेज का विवरण (स्व प्रमाणित प्रति संलग्न करें)
7. आवेदनकर्त्ता का Address Prof फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड व GST नं. की (स्व प्रमाणित प्रति संलग्न करें)
8. मैं/हम राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल जयपुर द्वारा जारी बोली आमंत्रण सूचना संख्या .. ..दिनांक .... के संदर्भ में बोली दस्तावेजों के साथ संलग्न की गई शर्तों को स्वीकार करने के लिए सहमत है। सहमति के रूप में शर्तों के सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर कर दिये गये है।
9. अधिकृत व्यक्ति का नाम पता एवं नमुना
10. दर प्रति विडियोग्राफी दिवस रू.....................(शब्दों में ....)
11. शर्तें संलग्न प्रपत्र–अ

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय दिनांक

प्रपत्र–अ

विडियोग्राफी कार्य के लिए सीमित बोली की शर्ते

1. राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल द्वारा विडियोग्राफी कार्य हेतु प्रशिक्षित एवं अनुभवी विडियोग्राफर फर्म / व्यक्तियों से बोली आमंत्रित की जाती है। जो दिनांक 25.09.2017 से 03.10.2017 को अपरान्ह 2:00 बजे तक स्वीकार की जावेगी। बोली खोलने की तिथि 03.10.2017 अपरान्ह 3:00 बजे उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष खोली जावेगी।
2. विडियोग्राफी कार्य में प्रशिक्षित एवं अनुभवी फर्म / व्यक्ति बोली के लिए पात्र होगें।
3. विडियोग्राफी का कार्यक्षेत्र सम्पुर्ण राजस्थान होगा। जिसके लिए कार्यालय द्वारा अनुमोदित बोलीदाता को सूचित किये गये समय एवं स्थान पर विडियोग्राफी के लिए अनुभवी विडियोग्राफर मय अच्छी गुणवत्ता का विडियो कैमरा उपलब्ध करवाना होगा।
4. प्रति कार्य दिवस न्यूनतम 02 (दो) एवं अधिकतम 10 (दस) विडियोग्राफर आवश्यकतानुसार उपलब्ध करानें होगें।
5. कार्य आदेश जारी करने की तिथि से 03 दिवस तक वांछित विडियोग्राफर उपलब्ध कराने होगें। यह अवधि घटाने एवं बढाने का अधिकार रजिस्ट्रार, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर को होगा।
6. विडियोग्राफी कार्य अच्छी गुणवत्ता का होगा जिसकी सी.डी. तैयार करके देनी होगी। विभाग की संतुष्टि के अनुसार होनी आवश्यक है। यदि सी.डी. विभाग की संतुष्टि के अनुरूप नहीं है तो पुनः सी.डी. तैयार करके देनी होगी जिसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान विभाग द्वारा देय नहीं होगा। सी.डी. बोलीदाता की होगी।
7. अनुमोदित बोलीदाता के कार्य से विभाग के संतुष्ट नहीं होने की दशा में कभी भी अनुबंध को विभाग द्वारा निरस्त किया जा सकेगा।
8. दरें शब्दों एवं अंको में स्पष्ट रूप से अंकित करनी होगी जिन पर कोई काट छांट आवेर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। अंको एवं शब्दों में लिखि दरों में अन्तर होने की स्थिति में न्यूनतम दर मान्य होगी।
9. सफल बोलीदाता को इस आशय का पत्र जारी होने के दिनांक से 15 दिवस में रू. 500/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध करना होगा। जिसका व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जावेगा। बोलीदाता कार्यसम्पादन प्रतिभूति 10,000/–रू. (अक्षरे रूपये दस हजार मात्र) जमा करानी होगी एवं जो कार्य के संतोषजनक रूप से पूर्ण होने के पश्चात् लौटाई जावेगी।
10. किसी भी बोली को स्वीकार व अस्वीकार करने का अधिकार रजिस्ट्रार, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर को होगा।

11. यदि बोलीदाता कोई ऐसी शर्त आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त हो या उसके विरूद्ध हो तो बोली बिना किसी सूचना के रद्द कर दी जावेगी।
12. कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा। कार्य करने के उपरान्त बिल प्राप्त होने पर नियमानुसार भुगतान किया जावेगा। बोलीदाता को समयानुसार (साप्ताहिक, पाक्षिक अथवा मासिक) बिल प्रस्तुत करने होगें।
13. विडियोग्राफी कार्य हेतु एक से अधिक बोलीदाताओं का पैनल बनाने का अधिकार रजिस्ट्रार, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर को होगा।
14. दरें प्रतिदिन प्रति विडियोग्राफी के लिए देनी होगी जिसमें सभी प्रकार के प्रभार (यदि कोई हो तो) शामिल होगें। बोली में अंकित दरों के अलावा कोई भुगतान नहीं किया जावेगा।
15. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अध्यक्ष राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल का निर्णय अन्तिम होगा।
16. जयपुर से बाहर विडियोग्राफी कार्य के लिए अनुमोदित दर के अतिरिक्त रेल/बस का वास्तविक किराया देय होगा।
17. इस अनुबन्ध के अन्तर्गत कार्य कराने की अधिकतम सीमा 02(दो) लाख रूपये होगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय दिनांक

राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर

(प्लॉट नं. 6 एवेरस्ट कॉलोनी लाल कोठी जयपुर)

विडियोग्राफी हेतु दरों का परिशिष्ठ

बोलीदाता का नाम व पता :–

फर्म / व्यक्ति का नाम	दर

बोलीदाता के हस्ताक्षर